मुन्तकिली प्रकरण संख्या 71/2020 (RCMS : 2020/ 000197) अनवान शिशपाल पुत्र श्री बस्तीराम जाति बिश्नोई, आयु 65 वर्ष निवासी 10 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर 2. अध्यक्ष, बिश्नोई मन्दिर रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जरिये राजराम पूनिया एडवोकेट अध्यक्ष बिश्नोई मन्दिर, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

25.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गुरप्रीत सिंह सिद्धू एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत बिश्नोई उपस्थित है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रकरण संख्या 54/2008 अनवानी अध्यक्ष बिश्नोई मन्दिर बनाम शिशपाल अर्न्तगत धारा 54 एल आर एक्ट का उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 2 जो कि रायसिंहनगर कोर्ट में अधिवक्ता है तथा प्रभावशाली व्यक्ति है तथा नियत पेशी के दिन प्रार्थी पैरवी के लिए दिनांक 08.09.2020 को अदालत में गया हुआ था तो अप्रार्थी संख्या 2 ने ऐलानियां कहा कि मैने साहब को अप्रौच कर दी है और मुकदमा का फैसला आपके खिलाफ ही होगा तथा आपके हक में जारी आवंटन आदेश व पट्टा खारिज हो जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उक्त प्रकरण अन्य किसी सक्षम न्यायलय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने पूर्व में भी उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय से अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र संख्या 30/2020 अनवानी शिशपाल बनाम स्टेट जरिये उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर एवं अध्यक्ष बिश्नोई मन्दिर, रायसिंहनगर इस न्यायालय में पेश किया था जो तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण दिनांक 26.08.2020 को खारिज कर दिया था अब प्रार्थी ने पुनः उसी प्रकरण संख्या 54/2008 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना के आधार पर पेश किया है, जो सही नही है। प्रार्थी जानबूझकर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब कर रहा है। प्रार्थी पूर्व में भी इस प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के आधार पर मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया था, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण ने प्रकरण में एक अपील राजस्व मण्डल राजस्थ न, अजमेर में पेश की थी, जिसमें राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 25.06.2008 को बहाल रखते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पुनः सुनवाई एवं निस्तारण हेतु रिमाण्ड किया हुआ है। इसलिए उक्त प्रकरण का निस्तारण राजस्व मण्डल के आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी, राजसिंहनगर द्वारा ही किया जाना है यदि उसे उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से कोई आपत्ति हो तो माननीय मण्डल के सक्षम प्रार्थना करनी चाहिए। अतः मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 05.10.2020 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी शिशपाल ने अधीनस्थ न्यायालय में 54 एल आर एक्ट का प्रकरण संख्या 54/2008 अनवानी शिशपाल बनाम स्टेट आदि को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए इस न्यायालय को धारा 54 एल आर एक्ट के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:23 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी शिशपाल ने इस न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण संख्या 54/2008 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु पेश किया था जिसमें तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी होने के कारण खारिज कर दिया गया था। अब पुनः भी इसी प्रकरण संख्या 54/2008 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है।

वर्तमान में प्रार्थी शिशपाल द्वारा पुनः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय न मिलने का आरोप लगाकर ये प्रार्थना पत्र पेश किया ह इस प्रकारा प्रार्थी द्वारा दोनों मुंतकिल प्रार्थना पत्र अलग अलग—अलग पीठासीन अधिकारीयों के विरूद्ध पेश किये है जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी को किसी भी पीठासीन अधिकारी पर विश्वास नहीं है अथवा प्रकरण को जानबूझ कर विलम्ब करने के इरादे से बार—बार मुंतकिल करवाने हेतु पेश कर रहा है जो किसी प्रकार से उचित नहीं है।

चूंकि वर्तमान प्रकरण संख्या 54/2008 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को सुनवाई व निस्तारण के निर्देश दिये गये है व माननीय राजस्व मण्डल के आदेशों के अनुसरण पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई की जा रही है। इसलिए अगर प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जा रही सुनवाई में कोई आपत्ति है तो वह माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष ही कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। इस न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा की जा रही कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवे[illegible] प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निणर्य की प्रति [illegible] को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक[illegible]

यह आदेश आज दिनांक 25.0[illegible]21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:23 IST
Reason: SelfAttested